न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2017

अमरीकसिंह पुत्र कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी 9 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

सुखबिन्द्रकौर पत्नी कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 9 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर,(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 08.05.2017

श्री जीतपालसिंह सैनी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुभाष मिढा, अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 18.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर,(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 5 एलएल के मु.न. 9 के कि.न. 1 से 25 की 6.200 है. भूमि व मु.न. 10 के कि.न. 14 से 20 की 1.525 है. भूमि कुल 7.85 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज जिसमें प्रार्थी के नाम से 2.762 है. व प्रार्थी के भाई गुरप्रीतसिंह के नाम 2.554 व सुखविन्द्रकौर के नाम से 1.762 हें. व बलकरणसिंह के नाम से 0.570 है. , राजकिरण के नाम से 0.292 है. भूमि

18/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जमाबंदी में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 5.10.2004 को लिखित में बंटवारानामा हो गया था जिसके अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का भाई गुरप्रीतसिंह अप्रार्थी की माता का वृद्धावस्था का लाभ उठाते हुए अप्रार्थी के नाम की भूमि से 0.570 है. भूमि का बेचान बलकरणसिंह को सारी प्रतिफल राशि स्वयं ने रख ली है। गुरप्रीतसिंह अप्रार्थी के नाम से ऋण लेना चाहता है एवं ऋण लेकर वह वापिस अदा नहीं करेगा। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी मु.न. 9 व 10 में 1.762 है. भूमि पर ऋण लेने से बाज व ममनू रहें।

अप्रार्थी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थी ने अप्रार्थीया को तंग व परेशान करने के लिए वाद एवं प्रा.पत्र पेश किया है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद दिनांक 08.05.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से धारा 212 आरटीए के प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट , अपीलांट के भाई व माता के मध्य दिनांक 5.10.2004 को को एक लिखित बंटवारानामा हो गया जिस पर गुरप्रीतसिंह व रेस्पो. ने हस्ताक्षर किये है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय को प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था। अपीलांट बंटवारे में प्राप्त प्लाट पर काबिज है। रेस्पो. विवादित भूमि पर ऋण लेना चाहता है। जिसे पाबन्द करवाने हेतु अपीलांट ने अधी.न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया था जो अधी.

18/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया जबकि हर प्रकार से मामला अपीलांट के पक्ष में था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट नशेडी है । भूमि के सुधार हेतु ऋण ले रखा है। गुरप्रीतसिंह रेस्पो. को नाम से ओर ऋण लेना चाहता है जबकि उसकी आवश्यकता नहीं हैं। अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आर.एल.डब्ल्यू. 1988 (2) राज.पेज 1204 की नजीर पेश की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह साबित है कि अप्रार्थीया/रेस्पो. विवादित भूमि की अभिलिखित खातेदार है एवं उसकी भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन आदेश एवं विवेचित अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया अधी.न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधी.न्यायालये का निर्णय बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर